

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गौधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नं: 0141-2228066, 2228064

फैक्स नं 0141-2228065

वेबसाइट : www.rmhc.health.rajabthnan.gov.in

सीआईएन: :U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल :: rmhc@nic.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2025-26/1951

दिनांक : 18/11/25

आदेश

फर्म मैसर्स JPEE Drugs, Plot No.53, Sector-6A, SIDCUL, Haridwar (Uttarakhand) से निविदा क्रमांक F.02(392)/ RMSCL/ PROCUREMENT/ Drug/ NIB-01/ 2024/ 96 दिनांक 12.01.2024 के तहत औषधि Calcium And Vitamin D3 Suspension (Each 5 Ml Contains Calcium Carbonate Equivalent To Elemental Calcium 250 Mg, Vitamin D3 125 IU) [441] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि आपूर्ति करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 5964 दिनांक 25.11.2024 व 7604 दिनांक 09.03.2025 जारी किये गये।

उक्त क्रय आदेश की पालना में आपूर्ति की गयी औषधि को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की अधिकृत प्रयोगशाला से जाँच कराये जाने पर औषधि के बैच संख्या JDL-3539, JDL-3549, JDL-3543, JDL-3578, एवं JDL-3584 गुणवत्ता (Microbial Contamination) में एवं JDL-3543 गुणवत्ता (Assay of vitamin D3) में अमानक कोटि के पाये गये जो कि Not of Standard Quality (Spurious or Adulterated) की श्रेणी में हैं।

उपरोक्त बैच को पुनः जांच हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया। राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की जांच में औषधि के बैच संख्या JDL-3539, JDL-3578 एवं JDL-3584 एवं JDL-3549 Microbial Contamination व बैच संख्या JDL-3543 में फर्म द्वारा क्लेम की गई मात्रा के मुकाबले vitamin D3 की मात्रा 0% (Nil) पाई गई जो कि Not of Standard Quality (Spurious or Adulterated) की श्रेणी में हैं।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उक्त औषधि के बैच संख्या JDL-3539, JDL-3549 एवं JDL-3543 के लिये अमानक कोटि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 11.11.2025 में रखा गया। फर्म को दिनांक 17.10.2025 को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिये अवसर दिया गया, परन्तु समिति के समक्ष फर्म का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा औषधि के उक्त दोनों बैच को Spurious or Adulterated की श्रेणी में अमानक कोटि के घोषित किये गये हैं। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की विवर्जन संबंधी गाइडलाइन के क्लॉज 4.8 एवं 11 (ii) के तहत Not of Standard Quality (Spurious or Adulterated) की श्रेणी में हैं। निविदा की शर्त संख्या Section (V)(3) Quality Testing एवं Section (VII) (A)(E) Quality Control Deduction & Other Penalties के अनुसार निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई औषधि के सैम्पल गुणवत्ता मानकों अनुसार नहीं पाये जाने पर विवर्जन संबंधी दिशा-निर्देश (Guidelines for Blacklisting/Debaring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक

Signature valid

Digitally signed by Pankaj Sen
Designation: Managing Director
Date: 2025.11.18 10:04:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

18900319

eSign 1.0



मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना



28/08/2018 के क्लॉज 4.8 एवं 11 (ii) के अनुसार कार्यवाई किये जाने का प्रावधान है। विवर्जन संबंधी दिशा-निर्देशों के क्लॉज संख्या 4.8 एवं 11 (ii) कमशः निम्नानुसार है:-

4.8 In case, any sample (even one batch) is declared as **Not of Standard Quality** by an empanelled lab or Govt. Lab which falls in **Spurious or Adulterated** category and if such failure is further confirmed by Govt. Lab during its entire shelf life, the **Company** shall be liable for debarring for a period of **not less than 5 years**.

11(ii):-On the basis of quantitative analysis (Assay), the NOSQ drug shall be distinguished in the following manner :-

Category of NOSQ drugs	Active ingredient content (Assay)	
	Thermo stable	Thermolabile
Minor	Upto 5% less than the prescribed lower limit	Above 70% to the prescribed lower limit
Grossly Substandard	Below 5% of the prescribed lower limit to 50%	70% to 40%
Spurious	Below 50%	Below 40%

अतः निविदा की शर्त संख्या Section (V)(3) Quality Testing एवं Section (VII)(A)(E) Quality Control Deduction & Other Penalties के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबंधी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.8 एवं 11 (ii) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 11.11.2025 की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म मैसर्स JPEE Drugs, Plot No.53, Sector-6A, SIDCUL, Haridwar (Uttarakhand) को यह आदेश जारी करने की तिथि से 05 वर्ष (60 Month) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है।

इस आदेश का पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा प्रतिस्थापित (Replacement) प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई गई हो, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(पुखराज सैन)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2025-26/1951
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

दिनांक : 18/11/25

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Pukraj Sen
Designation: Managing Director
Date: 2025.11.18 15:04:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18900319
eSign 1.0

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना



4. निजी सहायक, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
6. निजी सहायक, निदेशक, पी.एच./आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
8. निजी सहायक, औषधि नियंत्रक, राजस्थान/ उत्तराखण्ड।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरगेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं उप.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रगारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. M/s JPEE Drugs, Plot No.53, Sector-6A, SIDCUL, Haridwar (Uttarakhand)
13. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

Signature valid

Digitally signed by P. K. Sen
Designation: Managing Director
Date: 2025.11.18 10:04:45 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

18900319

eSign 1.0